न्यायालय अति. जिला कलक्टर - नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी का नाम — अनिल कुमार (R.A.S)

प्रार्थना पत्र सं. 37/2024

उनवान

1. भवरदास पुत्र खैतादास जाति स्वामी निवासी कवि-नाशी तहसील श्रीमाधोपुर जिला - नीमकाथाना

प्रार्थी

बनाम

1. उप तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 25.7.23 सरकार बनाम भवरदास अन्तर्गत धारा 91 L.R. Act मु० न० 2/2023

उपस्थित :- श्री होशियार बडसरा एड० प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 24.7.2024

संक्षेप मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है भूमि ख०न० 314/132 ग्राम अविनाशी में कदीम से आवासीय उपयोग कि रही है। प्रार्थी के पिता अपने जीवन काल में करीब आवासीय मकानात का निर्माण स्वयं के खर्चे पर करवाया जाकर अपने जीवनकाल में मय परिवार उपयोग लिया गया। राजस्व ग्राह्णी भी राजस्व कोष मे समय पर जमा करवायी गई है। विद्युत विभाग से विद्युत सम्बन्ध भी [illegible] समय पूर्व प्राप्त कर लिया था। आवासीय [illegible] सम्बन्धी बाबत ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] पत्र जारी किया गया था। उक्त कथनो का [illegible] गम्भीरता से [illegible] किये बिना जो निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:55 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि के अधिकांश भाग पर आबादी के उपभोग व उपयोग में आ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के हक में निर्माण राशि स्वीकृत कि गई है। विवादित स्थल के सम्बंध में सन 1975 में आवासीय भूखण्ड - विलेख की कार्यवाही आवंटन अधिकारी पंचायत समिती नीमकाथाना द्वारा कि गई थी। प्रार्थी के आवासीय मकानात में आवागमन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सड़क का निर्माण करवाया था। आवासीय मकानात व बाड़ा आदि को ध्वस्त कर प्रार्थी को बेदखल कर दिये जाने से भारी अपूरणीय क्षति होगी। उक्त कारणो से अप्रार्थी द्वारा पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है। प्रथम दृष्टया केश, सुविधा का - सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष मे है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.7.23 उनवान सरकार सरकार बनाम भंवरलाल की क्रियान्विति अपील के निर्णय तक स्थगित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिए नोटिश तलब किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी कि बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि भूमि ख०नं० 315/132 ग्राम अविनाशी करीम से आबादी के उपयोग में रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा। प्रार्थी ने स्वयं के खर्चे पर मकानात का निर्माण करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के हक में निर्माण राशि स्वीकृत कि गई है। प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी ने एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम अविनाशी [illegible] 315/132 पर मकानात व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण [illegible] गया। प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया केश [illegible] व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त [illegible] बताया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट है। जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है जबकि एक दण्डनीय अपराध है। --- 3 --

आतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:55 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते हैं अथवा नहीं। प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन निम्न प्रकार है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। विवादित भूमि सरकार की है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए कब्जा होना आवश्यक है। परन्तु प्रार्थी द्वारा जो कब्जा कर रखा है वह राजकीय भूमि है। रिकार्डेड खातेदार व राजकीय भूमि के विरुद्ध ~~[illegible]~~ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से व राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने कि दशा मे ज्यादा असुविधा अप्रार्थी को होगी क्योंकि विवादित भूमि प्रार्थी कि खातेदारी कि ना होकर राजकीय भूमि है। इसलिए इस स्टेज पर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (राजस्थान)

3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थी को कोई [illegible] होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि भूमि राजकीय है [illegible] स्वयं स्वीकार करते जा रहे हैं एवं प्रस्तुत रिकार्ड से भी स्पष्ट है।

इस प्रकार प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:55 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन खारीज किया जाता है। निर्णय.

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (राजस्थान)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:55 IST
Reason: SelfAttested